



# दिल्ली विकास प्राधिकरण

## सार्वजनिक सूचना

जन साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली में निजी स्वामित्व वाली भूमि के नक्शों/ योजनाओं को अधिसूचित **“निजी स्वामित्व वाली भूमि के नियोजित विकास हेतु विनियम”** के अनुसार स्वीकृत किया जा रहा है। इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने वाले निकाय हैं— एमसीडी / डीडीए / एनडीएमसी। उक्त विनियम 4 जुलाई 2018 को अधिसूचित किए गए थे और वर्तमान में प्रभावी हैं। ये स्वीकृतियां लागू भूमि उपयोग, अधिसूचित विनियमों तथा मास्टर प्लान / ज़ोनल प्लान के अनुरूप प्रदान की जाती हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपनी पात्र भूमि का विकास करना चाहता है, वह संबंधित स्थानीय निकाय में आवेदन कर सकता / सकती है।



ddaofficial



official\_dda



official\_dda\_ पर हमें फॉलो करें

“कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट [www.dda.gov.in](http://www.dda.gov.in) देखें या टॉल फ्री नं. 1800110332 डायल करें”



# दिल्ली विकास प्राधिकरण

## सार्वजनिक सूचना

जन साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली में निजी स्वामित्व वाली भूमि के नक्शों/ योजनाओं को अधिसूचित "निजी स्वामित्व वाली भूमि के नियोजित विकास हेतु विनियम" के अनुसार स्वीकृत किया जा रहा है। इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने वाले निकाय हैं— एमसीडी / डीडीए / एनडीएमसी। उक्त विनियम 4 जुलाई 2018 को अधिसूचित किए गए थे और वर्तमान में प्रभावी हैं। ये स्वीकृतियां लागू भूमि उपयोग, अधिसूचित विनियमों तथा मास्टर प्लान/ ज़ोनल प्लान के अनुरूप प्रदान की जाती हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपनी पात्र भूमि का विकास करना चाहता है, वह संबंधित स्थानीय निकाय में आवेदन कर सकता/सकती है।

ddaofficial

official\_dda

official\_dda\_ पर हमें फॉलो करें

“कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट [www.dda.gov.in](http://www.dda.gov.in) देखें या टॉल फ्री नं. 1800110332 डायल करें”